

The Parliamentary Secretary to the Minister of Education (Dr. M. M. Das): The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Shri D. C. Sharma: May I know when the information will be available and whether the hon. Minister could give me an approximate idea of the answer?

Dr. M. M. Das: It is not possible at present.

तांबे की खानें

* १२१४. श्री रघुनाथ सिंह: क्या प्राकृतिक संसाधन और बैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य में तांबे की खानों का पता चला है, और

(ख) यदि हां, तो उन खानों से कितना तांबा प्राप्त होने की आशा है?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री कै० डी० मालवीय): (क) और (ख) मांगी जाने वाली जानकारी एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है। [द्वितीय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६]।

श्री रघुनाथ सिंह: सर्वे आपकी आरम्भ हुई या नहीं?

श्री कै० डी० मालवीय: खनिज पदार्थ के अन्वेषण का कार्य दो हिस्सों में रहता है। एक प्रारम्भिक और दूसरा विस्तृत। प्रारम्भिक अन्वेषण तो हो गया है जैसा कि सूचना में दिया गया है। अब विस्तृत अन्वेषण का कार्य भी जहां तांबा पाया जाता है वहां शुरू किया जाएगा।

Shri Mohiuddin: In view of the importance of copper, does Government propose to undertake prospecting and further working of the mines?

Shri K. D. Malaviya: Government agree that there is a lot of urgency in regard to the prospecting of copper because it is a strategic material. That is why, they are now launching upon a programme of prospecting of copper in different parts of the country.

डॉ० सुरेश चन्द्र: जब खानों के बारे में काम होगा तो उस समय उस काम को गवर्नमेंट अपने आप करेगी या खानों का काम करने वाले व्यक्तियों के हाथ में गवर्नमेंट यह काम देगी?

श्री कै० डी० मालवीय: हमारी मौजूदा नीति के अनुसार तांबे के निकालने का काम खान का काम करने वाला प्राइवेट सेक्टर कर सकता है।

INDIAN CITIZENSHIP

*1216. **Chaudhri Muhammed Shafiq:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of foreign nationals who have applied for Indian citizenship since the 15th August, 1947;

(b) the number of applications accepted and the number rejected; and

(c) the number of persons, if any, who have renounced Indian citizenship or who have sought political asylum abroad since the 15th August, 1947?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Datar): (a) 2851.

(b) (i) 1525.

(ii) 1328.

These figures are as on 15th December 1953. No later figures are available.

(c) Indian Citizenship is at present regulated by the provisions of Part II of the Constitution which do not provide for renunciation of Indian Citizenship. As regards persons who have sought asylum abroad, the Government are not aware of any such cases.

Pandit D. N. Tiwary: May I know how many of the persons who came from Korea have applied for Indian citizenship?

-**Shri Datar:** I have not got that information, here.

Shri K. K. Basu: May we know whether the Government propose to bring forward an Indian Citizenship Act as promised in 1952

Shri Datar: Yes. Government do propose to bring a Bill before this House as far as possible in this very session.

लेखकों को पोषण भत्ता

* १२१८. सेंट गोविन्द दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के अन्त तक कितने लेखकों को (अलग अलग भाषा के) केंद्रीय सरकार द्वारा पोषण भत्ता दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सहायक (डा० एम० एम० दास) : इसका विवरण सभा के सामने है [वर्ष ६, अनुबन्ध संख्या ७०] ।

सेंट गोविन्द दास : मैंने इस प्रश्न में यह पूछा था कि ऐसे कितने सज्जन हैं जिनको इस प्रकार का पोषण भत्ता दिया जाता है ?

Dr. M. M. Das: I think there is difference between दिया जाता है दिया गया है। जिन लेखकों को सरकारी मदद मिली है उनकी संख्या और नाम हमारे पास हैं।

सेंट गोविन्द दास : जिनको यह पोषण भत्ता दिया गया उनके नामों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय किया है वह उन भाषाओं की विशिष्ट संस्थाओं या व्यक्तियों की सिफारिश के अनुसार किया है या किसी और प्रकार से किया है ?

डा० एम० एम० दास : हमारे देश के गरीब लेखकों को जो सरकारी मदद मिलती है उसके देने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो एक कमेटी बनाई गई है जिसके मेंबर हमारे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा तरीका यह है कि लेखकों की फाइनेंशियल कंडिशन अर्थात् आर्थिक अवस्था क्या है इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकारों से पूछा जाता है। तीसरा तरीका यह है कि विभिन्न भाषाओं की दो साहित्यिक संस्थाएं होती हैं, जैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उन से पूछा जाता है कि फंतां लेखक किस दर्जे का है। जब हमें प्रान्तीय सरकारों से और इन साहित्यिक संस्थाओं से सूचना मिलती है तो उसको कमेटी के सामने पेश

किया जाता है और कमेटी जो राय देती है उसके अनुसार मदद दी जाती है।

श्रीमती माधवबा : क्या मैं जान सकती हूँ कि बम्बई प्रान्त के कितने लेखकों को मदद मिली है ?

डा० एम० एम० दास : बम्बई राज्य का हिसाव तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गुजराती और कन्नड़ भाषाओं के कितने लेखकों को मदद मिली है इसकी संख्या मेरे पास है।

AIR FORCE AGREEMENT WITH INDONESIA

*1219. **Shri Amjad Ali:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether any agreement has recently been concluded with the Indonesian Government for a mutual exchange of officers of the Air Forces;

(b) if so, the main points in the agreement; and

(c) what will be the main purpose of the Courier Service established with Indonesia?

The Minister of Defence (Dr. Katju):

(a) Yes.

(b) The main points of the agreement are

(1) inter-change on reciprocal basis of officers of the two Air Forces; and

(2) a courier service between the two countries.

(c) Apart from giving valuable flying and other experience to the pilots, the courier service will help to bring the two countries closer to each other.

Shri Amjad Ali: May I know with regard to part (a) of the question, how a comparatively younger republic like Indonesia was selected for this purpose?

Dr. Katju: There is no question of a young republic. They made an offer, the matter was discussed and the two countries being friendly, this arrangement was agreed to.